

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 11 तिथि- 01.04.2019 के संदर्भ में

श्री रंजीत सिंह, श्री चिरंजीत सिंह, श्री सत्यजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, श्रीमती सुनीता झा, पति-श्री अजीत कुमार
श एवं अन्य, पता-कोथवाँ, खगौल रोड, दानापुर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के ~~411.2~~ प्लॉट नं०- 816 एवं 812, खाता नं०- 120 एवं 69, तौजी नं०-5242, थाना नं०- 36, मौजा- मुस्तफापुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-....~~412~~..../19-20 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 7617.14 वर्ग मीटर एवं B+G+5 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2024.71 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 50.75 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (न) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ...५३...../दिनांक:- ...१५/०१/१९.....

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत सिंह, श्री चिरंजीत सिंह, श्री सत्यजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, श्रीमती सुनीता झा, पति-श्री अजीत कुमार झा एवं अन्य, पता-कोथवाँ, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (त) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 43...../दिनांक:- 15/01/21.....

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत सिंह, श्री चिरंजीत सिंह, श्री सत्यजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, श्रीमती सुनीता झा, पति-श्री अजीत कुमार झा एवं अन्य, पता-कोथवों, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

- (ज) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ट) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अन्य शर्त

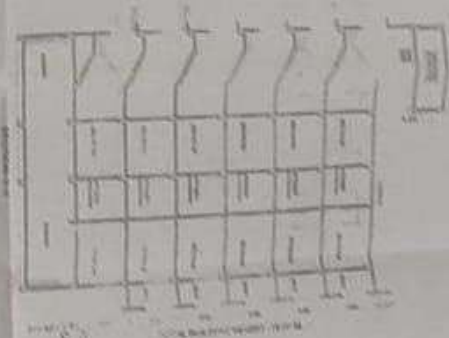
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ५३...../दिनांक:- १५/०१/२१.....

प्रतिलिपि:- श्री रंजीत सिंह, श्री चिरंजीत सिंह, श्री सत्यजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, श्रीमती सुनीता झा, पति-श्री अजीत कुमार झा एवं अन्य, पता-कोथवाँ, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

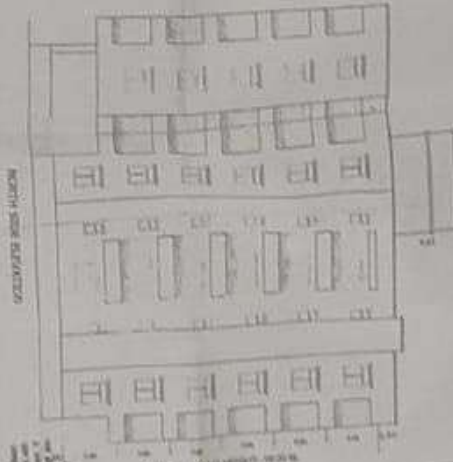
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत



SECTION A-A



EAST SIDE NORTH ELEVATION



NORTH SIDE ELEVATION

Handwritten signature

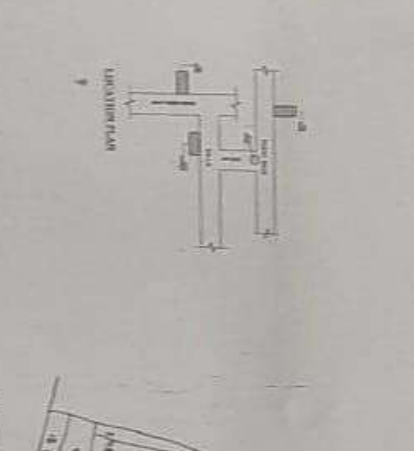
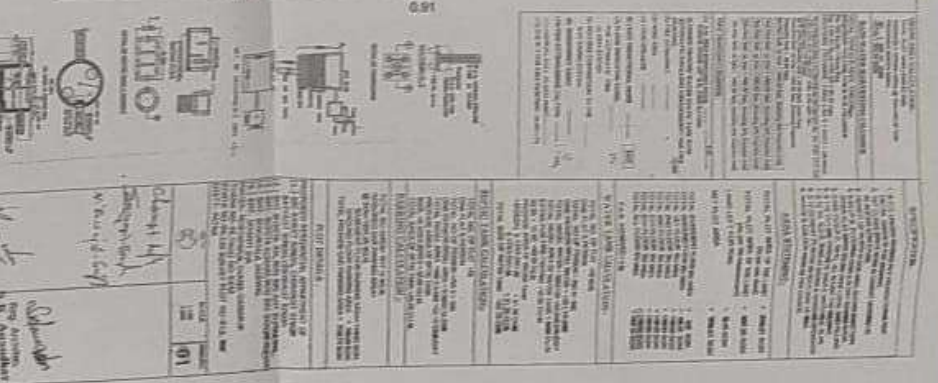
Handwritten notes and signatures

Handwritten notes and signatures

Handwritten notes and signatures

Handwritten notes and signatures

Handwritten notes and signatures



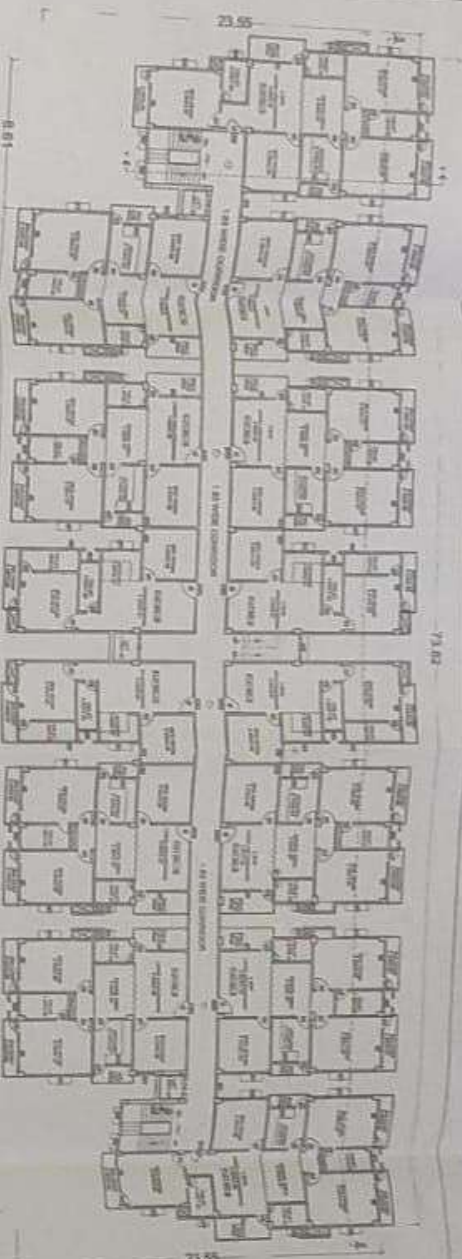
KEY PLAN

SPECIFICATION

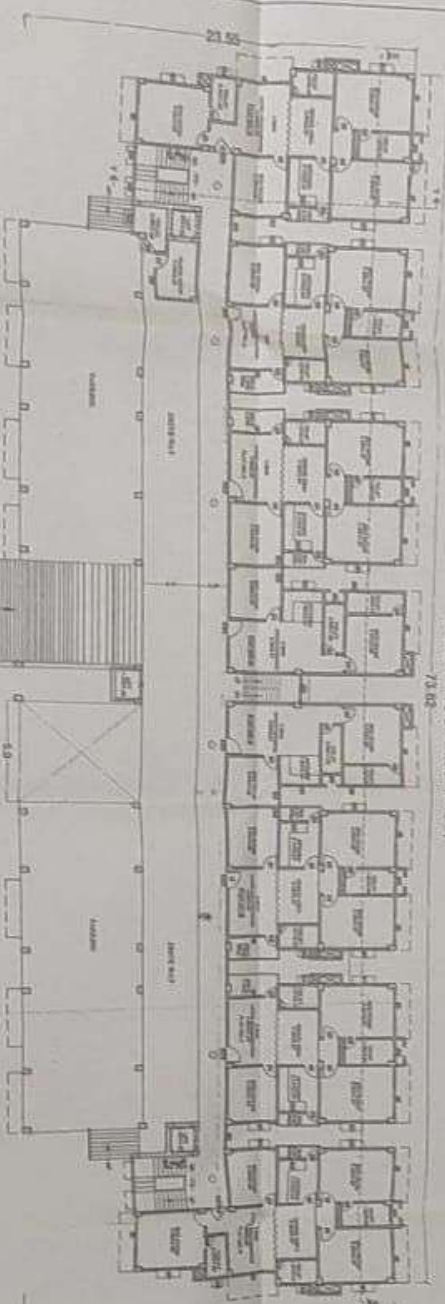
1. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
2. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
3. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
4. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
5. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
6. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
7. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
8. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
9. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.
10. All work shall be in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of Los Angeles, California, and the latest edition of the International Building Code, Inc., published by the International Conference of Building Officials, Inc., and the latest edition of the National Building Code, Inc., published by the National Conference of Building Officials, Inc.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

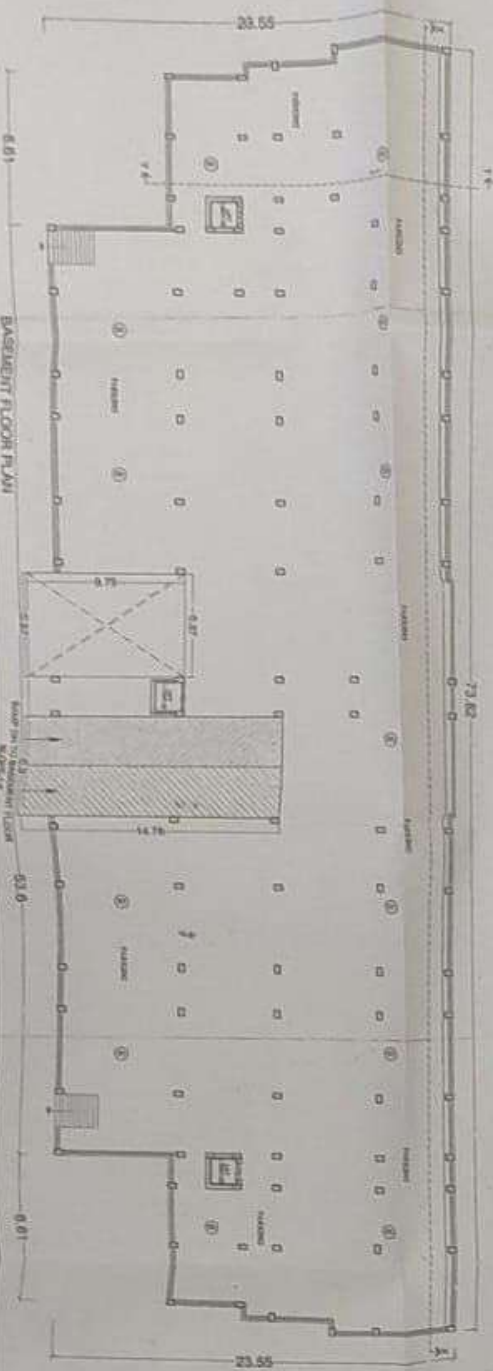
NO.	DESCRIPTION	QTY.	UNIT	AMOUNT
1	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
2	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
3	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
4	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
5	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
6	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
7	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
8	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
9	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00
10	1" x 6" x 8" Pine	12	Sq. Ft.	12.00



TYPICAL 1ST TO 5TH FLOOR PLAN



GROUND FLOOR PLAN



BASMENT FLOOR PLAN

02

02

02

02

02

02

02